रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2019/ज्येष्ठ 6, 1941
No. 174] NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2019/ JYAISTHA 6, 1941

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली 15 अप्रैल, 2019

सं. एन-12/13/1/2016–यो.वि.वि.— जबकि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 96सी का मसौदा विनियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III में दिनांक 6 दिसंबर, 2018 को अधिसूचना संख्या 470 द्वारा 26 नवंबर, 2018 को जारी किया गया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए।

और जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 में दिनांक 6 दिसंबर, 2018 को अधिसूचना संख्या 470 के द्वारा दिनांक 06.12.2018 को जनता को उपलब्ध कराई गई।

और जबकि आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त हुए और उनकी जांच तथा निवारण किया गया। आवश्यक संशोधन विनियम के परंतुक के रूप में समाविष्ट किया जा रहा है।

अब, अत: कर्मचारी राज्य बीमा अधिसूचना, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 को आगे संशोधित करने हेतु विनियम 96सी को एतद्वारा अधिसूचित तथा उक्त अधिनियम की धारा 59क के अंतर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

विनियम

कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में नया विनियम 96सी निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जा सकता है :-

विनियम 96सी **टाई-आप अस्पतालों का अति विशिष्टता उपचार हेतु अभिनिर्देशन तथा व्यय क.रा.बी. निगम द्वारा सीधे तौर पर उपगत करना।**

अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के शर्ताधीन, निगम या राज्य सरकार लाभार्थी को किसी भी टाई-अप व्यवस्थित चिकित्सा सुविधाओं के लिए अभिनिर्देशित कर सकते हैं, जहां इस सुविधा की लागत का वहन सीधे निगम द्वारा किया जाता है तथा जहां निधि इसकी अनुमति देती है; बीमाकृत व्यक्ति ने बीमायोग्य रोजगार में उसके पंजीकरण की तिथि से न्यूनतम छह माह पूर्ण कर लिए हों तथा संबंधित अंशदान अवधि जिसमें पंजीकरण किए जाने की अवधि शामिल है, में अंशदान का भुगतान अठहत्तर (78) दिनों से कम न हो। हालांकि जहां यह सुविधा उसके परिवार के सदस्यों तक विस्तारित की गई

है, वहां बीमाकृत व्यक्ति ने बीमायोग्य रोजगार में न्यूनतम एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो तथा प्रत्येक (2) अंशदान अवधि में अंशदान का भुगतान अठहत्तर (78) दिनों से कम न हो तथा वह हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति या लाभार्थी को तदनुरूपी अंशदान अवधि में उपलब्ध होगा।

परंतु यह भी कि रोजगार चोट वाले बीमाकृत व्यक्ति अथवा मातृत्व से उत्पन्न जटिलताओं से ग्रसित बीमाकृत महिला या अधिनियम के अंतर्गत जो विस्तारित बीमारी हितलाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे संबंधित अंशदायी शर्तों के अनुसार पात्र होंगे तथा विस्तारित बीमारी हितलाभ लाभार्थियों के परिवार के मामले में, वे भी तब तक पात्र होंगे जब तक अंशदान अवधि के तदनुरूपी बीमारी हितलाभ में व्याप्त विस्तारित बीमारी में अंशदान अवधि आधे से अधिक न हो।

एस. रविचंद्रन, अपर आयुक्त (योवि)

[विज्ञापन-III/4/असा./59/19]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2019

No. N-12/13/1/2016-P&D.—WHEREAS the draft regulation 96C to the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 were issued on 26th November, 2018 vide notification No.470 dated 6th December, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary Part III Section 4, objections and suggestions were called by the Employees' State Insurance Corporation.

And WHEREAS The said Gazette Notification was made available to the public on 06.12.2018 vide notification No.470 dated 6th December, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary Part III Section 4.

And WHEREAS objections and suggestions were received and the same has been examined and addressed. The necessary amendment is being incorporated as proviso to the Regulation.

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Section 97 Sub Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation, do hereby notify Regulation 96C further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, and is hereby published under section 59A of the said Act.

REGULATION

In the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, a new Regulations 96C shall be inserted as under :

REGULATION 96C **REFERRAL FOR SUPER SPECIALITY TREATEMENT TO TIE-UP HOSPITALS AND EXPENDITURE TO BE INCURRED BY EMPLOYEES' STATE INUSRANCE CORPORATION DIRECTLY**

Subject to the provisions of the Act and the Regulations, the Corporation or State Government may refer a beneficiary to any tie-up arranged medical facilities, where cost of such facility is borne directly by the Corporation and where the fund permits; an Insured Person should have completed a minimum of six months of insurable employment from the date of registration and have contributed not less than seventy eight (78) days in the relevant contribution period including in which registration was made. However, where the facility has been extended to his family members, an Insured Person should have completed a minimum of one year of insurable employment and have contributed for not less than seventy eight (78) days in each of the two (2) contribution period and such benefit shall be available to an Insured Person or a beneficiary in the corresponding benefit period.

Provided further that an Insured Person with employment injury or Insured Woman with complications arising out of maternity or those in receipt of extended sickness benefit under the Act shall be eligible as per the relevant contributory conditions and in case of family of extended sickness beneficiaries, they shall also be eligible as long as the benefit period corresponding to contribution period covered in extended sickness by more than half of the contribution period.

S. RAVICHANDRAN, Addl. Commissioner (P&D)
[ADVT.-III/4/Exty./59/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.05.28 21:46:01 +05'30'